फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी– ईशरराम पुत्र जीवणराम जाति अहीर निवासी अहीरो का बास सुद्रासन, तहसील मौलासर, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान वगै0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– लालाराम पुत्र रामू जाति अहीर निवासी अहीरों का बास, सुद्रासन, तहसील मौलासर, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 वगै0।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या...5 / 2025 सन्–2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
9.01.2025	प्रार्थी ईशरराम पुत्र जीवणराम जाति अहीर निवासी अहीरो का बास सुद्रासन, तहसील मौलासर, जिला डीडवाना–कुचामन, राजस्थान वगै0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण लालाराम पुत्र रामू जाति अहीर निवासी अहीरों का बास, सुद्रासन, तहसील मौलासर, जिला डीडवाना–कुचामन राज0 वगै0 के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद अहीरो का बास, सुद्रासन के खेत खसरा सं0 69, 76, 79 की भूमि में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। **नोट :–** 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनाँक 18.02..2025 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी डीडवाना Signature Not Verified Digitally signed by Vikas Mohan Bhati Date: 2026.04.10 13:43:34 IST Reason: SelfAttested	
18/2/25	पत्रावली पेश हुई। श्री मान् P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 25/4/25 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	09.01.26 पत्रावली पेश हुई / बुलाया 340 अप्रार्थीगण 01 व 06 बावजूद तामील अनुपस्थित इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थीगण 04 व 05 की तरफ से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट इन्तजार दिनांक 19.02.26 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
	19/2/26. पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते रिपोर्ट इन्तजार हेतु दिनांक 16/3/26 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
	23.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। पत्रावली वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को आज की तारीख पेशी में लेने व जरिये नोट-प्रेस खारिज करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली आज की तारीख पेशी पर खोली गई। वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली जरिये नोट-प्रेस खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर में जमा हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी [illegible]	इत्तलानामा [signature] Adv

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:43:34 IST
Reason: SelfAttested